कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax&☎ 05964-225234

पत्रांकः— 6624 /12—1 दिनांक, पिथौरागढ़, 02, मई, 2025।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषयः— **जनपद पिथौरागढ़ में भण्डारी गांव रजवार वोक्टा धुरौली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.87 हे0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में विधिवत स्वीकृति के सम्बन्ध में (ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या– 8887/2014)।**

संदर्भः— **प्रस्तावक विभाग/प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 पिथौरागढ़ का पत्रांक 654/22याता दिनांक 22.04.2025।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि विषयक प्रकरण में एन0पी0वी0, सी0ए0 एवं अन्य मदों में पूर्व में जमा की गयी धनराशि परिवेश पोर्टल अंतर्गत Paid Show हो चुकी है तथा वर्तमान में विधिवत स्वीकृति अपेक्षित है।

अवगत कराना है कि प्रकरण में एन0पी0वी0 की नवीन दरों के आधार पर शेष धनराशि भी प्रस्तावक विभाग द्वारा जमा की जा चुकी है, जो कि इस कार्यालय के पत्रांक 7616/12—1 दिनांक 14.05.2024 द्वारा पूर्व में सूचित किया गया है। साथ ही प्रकरण की अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 812/12—1 दिनांक 16.08.2023 द्वारा पूर्व में प्रेषित की गयी है।

उक्त आख्याएं पुनः संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण में विधिवत स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।

संलग्नः— यथोक्त।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

संख्याः— /12—1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः—
1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़ को उपरोक्त कम में इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण की अनुपालन आख्या परिवेश पोर्टल में भी अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

AE-II

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ ।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com; Fax/☎ 05964-225234

पत्रॉकः–   /12–1   दिनांक,   पिथौरागढ़,   14, मई, 2024 ।

2048
21/5/2024
22410 76

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ में भण्डारी गांव रजवार बोक्टा धुरोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.87 हे0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में विधिवत स्वीकृति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– प्रस्तावक विभाग का पत्रांक 63 कैम्प/22याता0 दिनांक 22.04.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तांतरण प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विषयक प्रकरण में उत्तराखण्ड शासन के आदेश सं0 151/X-4-15/1(65)/2015 दिनांक 30.03.2015 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है, जिसके अनुपालन में इस कार्यालय की पत्र सं0 812/12–1 दिनांक 16.08.2023 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित की गयी है।

उक्त के अतिरिक्त प्रकरण में प्रस्तावक विभाग द्वारा एन0पी0वी0 की बढ़ी हुयी नवीन दरों के अनुसार शेष धनराशि कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है, जिसकी चालान प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। प्रकरण में वर्तमान तक विधिवत स्वीकृति अपेक्षित है। अतः प्रकरण में विधिवत स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु प्रकरण को अपने स्तर से उच्च स्तर को संदर्भित करने की कृपा करें।

संलग्नः– यथोक्त।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़।

संख्याः– 7616   /12–1   दिनांकित।

प्रतिलिपिः–
1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

AE II 1314
AEE 21/5
21/5/24

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
पिथौरागढ़।

दूरभाष / फैक्स नं0 05964–225115 E-mail - pdpwdpth@rediffmail.com

पत्रांक 433/22 भाग दिनांक 21/2/2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग पिथौरागढ़

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ में भण्डारी गांव रजवार बोक्टा धुरोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.87 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 151/X-4-15/1(65)/2015, दिनांक 30.03.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के द्वारा चाही गई आख्या के सम्बन्ध में लगाई गई शर्तो की अनुपालन आख्या इस कार्यालय के को आपके माध्यम से प्रेषित की जानी है। जिस हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो की अनुपालन आख्या निम्न प्रकार संलग्न है–

S.NO.	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रतावतित भूमि के बदले 3.87 हे0 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षों का यथोउचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों पर समाहित करने हेतु यथा संशोधित) जमा की जाएगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एव नामान्तरण किया जायेगा। तथा 6 माह में आरक्षित/ संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एव नामान्तरण की उक्त शर्त पूर्ण होने के पश्चात ही प्रदान की जा रहीं स्वीकृति निर्गत मानी जायेगी।	नोडल खण्ड कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड के पत्राक 1546/एन0पी0वी0 दिनांक 27.05.2015 द्वारा UTR NO SBIN 215147701748 Date 27.05.2015 द्वारा आवश्यक धनराशि रू0 6578210.00 (एन0पी0वी0 हेतु रू0 3471390.00, क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 1106820.00 एवं पथ वृक्षारोपण हेतु रू0 2000000.00) जमा की जा चुकी है भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एव नामान्तरण जिलाधिकारी के पत्र सं0 1898/सात–59/2021–22 दिनांक 01.07.2022 को 7.74 हे0 को हस्तान्तरण नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की गई है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आसपास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों पर समाहित करने हेतु यथा संशोधित) जमा की जाएगी।	मार्ग के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि जमा कर ववदी गई है।
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उचचतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई0ए0 सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिए गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निधारित राशि जमा की जाएगी।	नोडल खण्ड कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड के पत्राक 1546/एन0पी0वी0 दिनांक 27.05.2015 द्वारा UTR NO SBIN 215147701748 Date 27.05.2015 द्वारा आवश्यक धनराशि रू0 6578210.00 (एन0पी0वी0 हेतु रू0 3471390.00, क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 1106820.00 एवं पथ वृक्षारोपण हेतु रू0 2000000.00) जमा की जा चुकी है
4	प्रयोक्ता अभिकारण इस आश्य का वचनबद्धता प्रस्तुत करेगें कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	मान्य है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या–5–3/2007– एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिए गये आदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी अलग निधियॉ प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0--एस0बी0–25229 कार्पोरेशन वैंक (भारत सरकार का उपकर्म), ब्लॉक–11 भूतल सी0जी0ओ0 कॉम्प्लेक्स फेज–01 लोधी रोड नई दिल्ली–110003 में जमा कराने के उपरान्त ही पावती की	एन0पी0वी0, प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण हेतु जमा की गई धनराशि की पावती की छायाप्रति व ड्राफ्ट की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।

	छायाप्रति जमा की गई। धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराए जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	बैंक ड्राफ्ट की प्रति संलग्न है,
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।	भू-वैज्ञानिक की शर्ते मान्य होने का प्रमाण पत्र संलग्न है।
7	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	वन अधिकार अधिनियम 2006 के समस्त अभिलेख संलग्न है।
8	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा प्रस्ताव में नीहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	मान्य है।
9	उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जाएगी।	मान्य है।

उक्त के अतिरिक्त अन्य सभी शर्ते विभाग को मान्य होगी।

संलग्नः-- तीन प्रतियों में।

भवदीय
04/2/23
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
पिथौरागढ़।

पत्रांक 133/22याता0 दिनांकित। 04/02/2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी भुमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून उत्तराखण्ड।
2. जिलाधिकारी पिथौरागढ़।
3. सहायक अभियन्ता, प्रा0ख0लो0नि0वि0, पिथौरागढ़।
4. खण्डीय अमीन, प्रा0ख0लो0नि0वि0, पिथौरागढ़।

O/C

04/2/23
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
पिथौरागढ़।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & ☎ 05964- 225234

Phone :- 0135-2729863

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून

Office of the Executive Engineer, Construction Division, P.W.D., Dehradun, Uttarakhand

Website-http://pwd.uk.gov.in

E-mail: eecdpwdddn@rediffmail.com

पत्रांक /एन०पी०वी०

सेवा में,

दिनांक / /2015

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग,
इंदिरा नगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्र सं० 3240 दिनांक 15/7/015 22 प्राप्त

विषय — वित्तीय वर्ष 2015—16 में भारत सरकार से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में एन०पी०वी०/क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य देय धनराशि के भुगतान के सबंध में।

संदर्भ — इस कार्यालय का पत्रांक 1546/एन०पी०वी०, दिनांक 27—05—2015.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में वित्तीय वर्ष 2015—16 में लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड की सड़कों के लिये एन०पी०वी०/क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य देय धनराशि ₹ 7,46,28,097.00 (₹ सात करोड़ छियालीस लाख अट्ठाईस हजार सत्तानब्बे) मात्र का भुगतान संदर्भित पत्र द्वारा किया जा चुका है, जिसका U.T.R. No. SBIN215147701748 की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

R.N. 3240/22 प्राप्त 15/7/015

संलग्न — उपरोक्तानुसार।

प्रभारी निधि अनुभाग

(वाई०एन० राजवंशी),
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
देहरादून।

पत्रांक 1687 /एन०पी०वी०

दिनांक 6/6/2015

प्रतिलिपि — निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

1— महालेखाकार, लेखा एवं लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, ओबरॉय मोटर्स, सहारनपुर रोड़ माजरा देहरादून।
2— प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3— आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूं क्षेत्र, पौड़ी/नैनीताल।
4— प्रमुख अभियन्ता, उत्तराखण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून।
5— वित्त नियंत्रक, कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर—I, लो०नि०वि०, देहरादून।
6— मुख्य अभियन्ता स्तर—I/स्तर—2, लो०नि०वि०, देहरादून/पौड़ी/अल्मोड़ा/हल्द्वानी।
7— अधीक्षण अभियन्ता 12 वॉ वृत्त, लो०नि०वि०, सिविल वृत्त अल्मोड़ा (1)/नैनीताल (2)/पिथौरागढ़ (3)/हल्द्वानी (4)/गोपेश्वर (7)/देहरादून (9)/पौड़ी (12)/लो०नि०वि० अधीनस्थ खण्डों को तदनुसार अवगत कराने का कष्ट करेंगे।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
देहरादून।

अधीक्षण अभियन्ता
12वॉ वृत्त लो०नि०वि०
पिथौरागढ़

प्राप्त 9-6-2015

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & ☎ 05964- 225234

Phone :– 0135-2729863

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून

Office of the Executive Engineer, Construction Division, P.W.D., Dehradun, Uttarakhand
Website-http://pwd.uk.gov.in E-mail: eecdpwdddn@rediffmail.com

पत्रांक /एन०पी०वी० दिनांक / /2015.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग,
इंदिरा नगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय – वित्तीय वर्ष 2015–16 में भारत सरकार से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में एन०पी०वी०/क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य देय धनराशि के लिये आवंटन।

संदर्भ – प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष), उत्तराखण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून का पत्रांक 409/25 बजट–टी०सी० (एन०पी०वी० एवं प्रतिकर भुग–रा०से०)/2015–16, दिनांक 18–05–2015.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2015–16 में लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड की सड़कों के लिये एन०पी०वी०/क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य देय धनराशि ₹ 7,46,28,097.00 (₹ सात करोड़ छियालीस लाख अट्ठाईस हजार सत्तानब्बे) मात्र का भुगतान संलग्न सूची के अनुसार ऑनलाईन भुगतान के माध्यम से किया गया है।

1.	एन०पी०पी० भुगतान हेतु	₹	4,55,16,177.00
2.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण के भुगतान हेतु	₹	1,35,30,206.00
3.	पथ वृक्षारोपण के भुगतान हेतु	₹	1,55,36,879.00
4.	मलवा निस्तारण	₹	44,835.00
	योग	₹	7,46,28,097.00

अर्थात कुल ₹ 7,46,28,097.00 मात्र आई०डी संख्या CC0100157105150043 के माध्यम से दिनांक 23–05–2015 द्वारा *Compensatory Afforestation Fund(CAF), Uttaranchal S B A/c No. 0371001010225229* कारपोरेशन बैंक, लोधी शाखा, नई दिल्ली में देय आपको प्रेषित किये जा रहे है। सुलभ संदर्भ हेतु संदर्भित पत्र की छायाप्रति भी संलग्न की जा रही है।

संलग्न – 1– आई०डी संख्या CC0100157105150043 की छायाप्रति।
2– संदर्भित पत्र की छायाप्रति।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
देहरादून।

पत्रांक 1546 /एन०पी०वी० दिनांक 27/05/2015.

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– महालेखाकार, लेखा एवं लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, ओबरॉय मोटर्स, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून।
2– प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– आयुक्त, गढ़वाल/कुमायू क्षेत्र, पौड़ी/नैनीताल।
4– प्रमुख अभियन्ता, उत्तराखण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून।
5– वित्त नियंत्रक, कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर–।, लो०नि०वि०, देहरादून।
6– मुख्य अभियन्ता स्तर–।/स्तर–2, लो०नि०वि०, देहरादून/पौड़ी/अल्मोड़ा/हल्द्वानी।
7– अधीक्षण अभियन्ता वॉ वृत्त, लो०नि०वि०, सिविल वृत्त अल्मोड़ा (1)/नैनीताल (2)/पिथौरागढ़ (3)/हल्द्वानी (4)/गोपेश्वर (7)/देहरादून (9)/पौड़ी (12)/लो०नि०वि० अधीनस्थ खण्डों को तद्नुसार सूचित करने का कष्ट करेंगे।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
देहरादून।

6

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India
With you - all the way

e-PayOrder Details

e-PayOrder Number	CN36244196
Debit Status	Success
Scheduled Time	27-May-2015 [12:00 AM] IST

27-May-2015

Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttaranchal

Seven Crores Forty Six Lakhs Twenty Eight Thousand Ninety Seven only — 7,46,28,097.00

00000010901749156

316208SFTPUSER
Maker

Jagat Singh Chauhan
Authorizer 1

DEHRADUN

"CN36244196"

010027051542796

Counterfoil Description: E01002127051542794

Transaction Type: NEFT Funds transfer

Debit Account Details

Account No.	Branch	Amount
00000010901749156	DEHRADUN	7,46,28,097.00

Credit Account Details

Beneficiary Name/Account No.	Bank/Branch/IFSCCode	Amount	Credit Status	UTR No.
Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttaranchal/037100101025229	NEW DELHI LODHI COMPLEX/CORPORATION BANK/CORP0000371	7,46,28,097.00	Fund settled by RBI with beneficiary Bank	SBIN215147701740

सहायक अभियन्ता
प्रा० खं० लो० नि० वि०
पुरोला

संलग्नक:-1

पत्र संख्या 228 /25 बजट (प्रतिकर भुगतान-रा0वे0)/2015-16 दिनांक 08 /05/2015 का संलग्नक।

अपर प्रमुख वनसंरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून से प्राप्त सड़क निर्माण के प्रकरणों की सूची।

(धनराशि ` में)

क्र0 सं0	मार्ग/परियोजना का नाम	क्षेत्रफल (हे0)	जनपद	अपर प्रमुख नोडल अधिकारी एवं मुख्य वनसंरक्षक तथा अन्य पत्रों का संदर्भ जिनके द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि जमा करने के निर्देश प्राप्त हुये हैं।	एन0पी0वी0 की देय धनराशि	क्षति0 वृक्षारोपण की देय धनराशि	पथ वृक्षारोपण की देय धनराशि	योग (का. 6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	तल्ली गिरई बैण्ड से सोनिया-सासर मो0 मार्ग।	0.280	अल्मोड़ा	अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून का पत्र संख्या 3162/1-41-4 देहरादून दि0 07.05.2015	इको-क्लास के अनुसार निर्धारित धनराशि सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के माध्यम से जमा की जानी है।		प्र0 वना0 से निर्धारित देय धनराशि सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के माध्यम से जमा की जानी	
2	गगास-उडीमहादेव-शैलापानी-भिकियासैण-मरचूला मो0 मार्ग।	13.842	अल्मोड़ा		9094194	3958812	0	13053006
3	काण्डा-जेठाई मो0 मार्ग से गुरना बागेश्वर दफौट मो0 मार्ग।	1.820	बागेश्वर		1537900	520520	800000	2858420
4	रायपुर ब्लाक के नालापानी मार्ग से कोटालगांव मो0 मार्ग।	0.9625	देहरादून		0	0	प्र0 वना0 से निर्धारित देय धनराशि सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के माध्यम से जमा की जानी	
5	अगलीगड्ड से दुघई तक मो0 मार्ग।	2.8184	देहरादून		2646478	732784	0	3379262
6	भोगपुर-लालतप्पड़ मार्ग को घमण्डपुर से राष्ट्रीय राजमार्ग 72 तक मोटर मार्ग।	0.930	देहरादून		0	0	1200000	1200000
7	चण्डाक-मैइला-तड़ीगांव मो0 मार्ग।	1.935	पिथौरागढ़		1352565	553410	800000	2705975
8	नांधर-(कुमल्टा) से गंगोलीहाट मो0 मार्ग।	0.819	पिथौरागढ़		734643	0	800000	1534643
9	कोटेगांव-साईखोला-सेरीकाण्डा मो0 मार्ग।	4.830	पिथौरागढ़		4332510	1381380	2000000	7713890
10	अडकिनी-जलतुड़ी मो0 मार्ग।	0.982	पिथौरागढ़		880406	0	500000	1380406
11	भण्डारीगांव-रजवार-बोक्टा-धुराली मो0 मार्ग।	3.870	पिथौरागढ़		3471390	1106820	2000000	6578210
12	सिलोनी-चिमताली-भैंसढूंगा-मझेड़ा-चौरा-जमतड़ी मो0 मार्ग।	2.610	पिथौरागढ़		2341170	746460	1200000	4287630
13	चण्डाक-बांरा मो0 मार्ग (पोखरी) से रतवांड़ी ततरौड़ा मो0 मार्ग।	0.955	पिथौरागढ़		667545	0	1800000	2467545
14	रोडीपाली-रसियापाटा मो0 मार्ग।	2.295	पिथौरागढ़		2058615	656370	1000000	3714985

E-mail ... Fax & ☎ 05964- 225234

संलग्नक:—1

पत्र संख्या 228 /25 बजट (प्रतिकर भुगतान—रा0रो0)/2015—16 दिनांक 08 /05/2015 का संलग्नक।

अपर प्रमुख वनसंरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून से प्राप्त सड़क निर्माण के प्रकरणों की सूची।

(धनराशि ` में)

क्र0 सं0	मार्ग/परियोजना का नाम	क्षेत्रफल (है0)	जनपद	अपर प्रमुख नोडल अधिकारी एवं मुख्य वनसंरक्षक तथा अन्य पत्रों का संदर्भ जिनके द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि जमा करने के निर्देश प्राप्त हुये हैं।	एन0पी0वी0 की देय धनराशि	क्षति0 वृक्षारोपण की देय धनराशि	पथ वृक्षारोपण की देय धनराशि	योग (का. 6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	आपदाग्रस्त एंचोली—जाख—पुरान मो0 मार्ग।	2.970	पिथौरागढ़	अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून का पत्र संख्या 3162/1—41—4 देहरादून दि0 07.05.2015	2076030	849420	820000	3745450
16	आपदाग्रस्त बड़ावें—उण्डणा—फुसरखाली—गोधागैर—खर्कगैर मो0 मार्ग।	0.270	पिथौरागढ़		242190	0	400000	642190
17	माड़ (मरसोली) मो0 मार्ग।	0.810	पिथौरागढ़		726570	0	400000	1126570
18	आपदाग्रस्त कनालीछीना से ल्वांठी मो0 मार्ग।	1.620	पिथौरागढ़		1453140	463320	600000	2516460
19	सौरगढ़—चौपड़ा—भट्गांव—बबई मो0 मार्ग का निर्माण।	3.227	रूद्रप्रयाग		2727153	839124	1400000	4966277
20	अलकनन्दा नदी पर निरवाली—धारकोट में झूलापुल का निर्माण।	0.030	रूद्रप्रयाग		इको—क्लास के अनुसार निर्धारित धनराशि सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के माध्यम से जमा की जानी है।	0	प्र0 वन0 ... धनराशि सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के माध्यम से जमा की जानी है।	0
21	खुजीर बैण्ड से चौकी बर्सिल एवं खुजीर बैण्ड—चौकी बर्सिल से तमिल्ड सतेराखाल मो0 मार्ग का विस्तार।	0.990	रूद्रप्रयाग		650430	0	प्र0 वन0 ... धनराशि सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के माध्यम से जमा की जानी है।	650430
22	सेरा—खरगेड—वांसी—कोटली—रौडिया—जवाड़ी—उत्यांसू—मल्यासू मो0 मार्ग का निर्माण।	8.908	रूद्रप्रयाग		7051484	0	0	7051484
23	देचौरी दंगांव व मूसाबंगर के मध्य बौर नदी पर पैदल झूला पुल का निर्माण।	0.120	नैनीताल		125160	0	140946	266106
24	मनुवा गधेरा (सुवाकोट—पोखरी) में 11 मी0 लम्बाई में पैदल पुल का निर्माण।	0.800	नैनीताल		75120	0	245553	320673
25	ग्राम जखोल के निकट सांवनी में रूपिन नदी के ऊपर 80 मी0 लम्बी झूला पुल का निर्माण।	0.211	उत्तरकाशी		138500	0	102492	240992
	कुल योग:— (क्र0सं0 1 से 25 तक)				44383193	11808420	16208991	72400604

फाईल नं0 25 बजट शीट—01 दि0 08.05.2015

File No. NA-1/68/2020-NA
Government of India
National Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
3rd Floor, Supreme Court Metro Station (Line 3) New Delhi-110001
Email: nationalcampa-moefcc@gov.in
*****

दिनांक Dated: 21.04.2025

To

The Nodal Officer-cum-APCCF (FCA)
O/o Pr. CCF, Government of Uttarakhand
Forest Department. Dehradun

विषय: पिथौरागढ़ के अन्तर्गत विभिन्न गोटर मार्ग में जमा की गयी क्षतिपूरक के वृक्षारोपण की धनराशि ऑनलाईन परिवेश में भुगतान दिखाने के सम्बन्ध में।

Sir,

The undersigned is directed to refer to the letter No. 1396 dated 13.11.2024 on the subject mentioned above and to inform as under:

An amount Rs.7,46,28,097.00 has been received in Corporation Bank now UBI, CGO, Complex, New Delhi-110003 on 28.5.2015 as under:

	A - 12 roads for Pithorgarh				
	Land diverted (in ha)	CA	AddlCA	NPV	total
1	1.935	**553410**	**800000**	**13,52,565.00**	27,05,975.00
2	0.819	8,00,000.000	-	7,34,643.00	15,34,643.00
3	4.830	13,81,380.000	20,00,000.000	43,32,510.00	77,13,890.00
4	0.9815	5,00,000.000	-	8,80,406.00	13,80,406.00
5	3.8700	11,06,820.000	20,00,000.000	34,71,390.00	65,78,210.00
6	2.6100	7,46,460.000	12,00,000.000	23,41,170.00	42,87,630.00
7	0.9550	-	18,00,000.000	6,67,545.00	24,67,545.00
8	2.2950	6,56,370.000	10,00,000.000	20,58,615.00	37,14,985.00
9	2.9700	8,49,420.000	8,20,000.000	20,76,030.00	37,45,450.00
10	0.2700	-	4,00,000.000	2,42,190.00	6,42,190.00
11	0.8100	-	4,00,000.000	7,26,570.00	11,26,570.00
12	1.620	4,63,320.000	6,00,000.000	14,53,140.00	25,16,460.00
				Total	**3,84,13,954.00**
	B- Two roads				
1			Almora/ Bagheswar(Dehradun)		2,09,90,101.00
2			Rudrprag/Nainital (Uttarkashi)		1,52,24,042.00
				Total	**3,62,14,143.00**
			Grand Total		**7,46,28,097.00**

The amount of Rs.7,46,28,097.00 consists of Rs. 3,84,13,954.00 for 12 roads in Pithoragarh District; Rs.2,09,90,101.00 for Almora/ Bagheswar (Dehradun) and Rs.1,52,24,042.00 for Rudrprag/Nainital has been received. Thus, the above funds have been received CAF Uttarakhand account which are to be shown as paid in Parivesh Portal.

3. This issues with the approval of competent authority.

Yours faithfully

(Sanjay Kumar Chauhan)
Assistant Inspector General of Forest
National Authority

To,

1. Deputy Director General of Forests (Central), Government of India, Ministry of Environment Forests & Climate Change, Dehradun, Uttarakhand.
2. Inspector General of Forests (FC), MoEF&CC, New Delhi for information.
3. Team Leader, NIC, Cell with the request to show the above funds as 'Paid' in Parivesh Portal.

प्रपत्र–31

परियोजना का नामः– भण्डारीगांव रजवार बोक्टा धुराली मोटर मार्ग का नव निर्माण।

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचायें जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख–रखाव के दौरान वन्य जीवों /स्थानी; वनस्पतियों को कोई नुकसान नही पहुँचाया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़।

प्रपत्र–5

SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF

(for the forest land to be diverted under FCA)

5.1 A proposal has been received by this office

from.. P.W.D. Pithoragarh ....for diversion under FCA-1980) of 3.87 ha. of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for construction of x. Bhandaingaun to Rajbar Bokta Dhurdi motorroad. The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated..................

5.2 On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Other forests measuring. 3.870 ......ha.

5.3 The requirement of forest land as proposed by the user agency in Co1.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project. Yes.

5.4 Whether any rare /endangered /unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of :- No.

5.5 xx Whether any protected archeological /heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if required.- Not required.

a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.✓

b) It has been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached. No

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal. Hence, The Proposal is recommended for acceptance.

(Signature)

Place:- Pithoragarh ...... Name... Dr. S.P. Singh

Date.... 18.12.2014 .... Designation... प्रभागीय वन अधिकारी पिथौरागढ़ वन प्रभाग

Office Seal ....

N.B. x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.

xx out of(a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC darted 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less then 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more the 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.

वन क्षेत्राधिकारी
डीडीहाट वन क्षेत्र

Sub. Divisional Officer
Didihat
Pithoragarh Forest Divi.

प्रपत्र–32

परियोजना का नामः– भण्डारीगांव रजवार बोक्टा धुराली मोटर मार्ग का नव निर्माण।

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसौई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसौई गैस उपलब्ध करायी जायेगी।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़।

2.29

प्रपत्र–28

परियोजना का नामः– भण्डारीगांव रजवार बोक्टा धुराली मोटर मार्ग का नव निर्माण।

Task Force Certificate

(i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.

(ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.

(iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.

(iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred. Apart from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

(i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.

(ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in road. Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.

(iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen muck treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made.

(iv) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culverts, breast walls, retaining walls are to be provided for purpose of establishing the slips Growth vegetative cover is to be stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In

(v) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and others engaged in construction of hill roads. these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा प्रदत्त उक्त संस्तुतियाँ का परियोजना के निर्माण के दौरान अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा हैं।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़।

<u>परियोजना का नामः</u>– जनपद पिथौरागढ़ मे भण्डारीगांव रजवार बोक्टा धुराली मोटर मार्ग(10.000 किमी0) का नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

भू–अर्जन प्रमाण–पत्र

नया प्रस्तावित मोटर मार्ग **भण्डारीगांव रजवार से बोक्टा धुराली** तक विकासखण्ड़ कनालीछीना , जिला पिथौरागढ़, में उत्तराखण्ड़ शासन के शासनादेश संख्या 5519 / III-(2) / 10–06(मु0मं0घो0) / 2010 देहरादून दिनांक 15.10.2010 द्वारा स्वीकृत है। इस मार्ग को प्रा0ख0पी0डब्लू0डी0, के द्वारा निर्माण किया जाना है। इस मोटर मार्ग के निर्माण में 3.870 है0 वन भूमि हेतु नियमानुसार वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव नोडल अधिकारी देहरादून कार्यालय में विचाराधीन है। वन भूमि की आवश्यकता को न्यूनतम रखने के उद्देश्य से 5.130 है0 इस प्रस्ताव में नाप भूमि हैं। ग्राम सभा भण्डारी गांव की कुल 1260 जनसंख्या के अर्न्तगत खातेदार कास्तकारों से निम्नानुसार भूमि देना प्रस्तावित है।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित नाप भूमि को सम्बन्धित कास्तकारों से नियमानुसार सहमति से अथवा अर्जित कर प्रयोक्ता एजेन्सी को स–समय उपलब्ध करा दी जायेगी एंव प्रश्नगत मोटर मार्ग का निर्माण बाधित नहीं होगा।

पूरा पता–
जिलाधिकारी कार्यालय,
कलेक्ट्रेड रोड़, टकाना,
जिला–पिथौरागढ़
फोन नं0–05964 228050
ई–मेल– dm-pit-ua@nic.in

हस्ताक्षर
जिलाधिकारी
पिथौरागढ़
श्री एच0सी0 सेमवाल
जिलाधिकारी
पिथौरागढ़
(शासकीय मोहर)

<u>परियोजना का नामः</u>– जनपद पिथौरागढ़ मे भण्डारीगांव रजवार बोक्टा धुराली मोटर मार्ग(10.000 किमी0) का नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

भू–अर्जन प्रमाण–पत्र

नया प्रस्तावित मोटर मार्ग **भण्डारीगांव रजवार से बोक्टा धुराली** तक विकासखण्ड़ कनालीछीना , जिला पिथौरागढ़, में उत्तराखण्ड़ शासन के शासनादेश संख्या 5519 / III-(2) / 10–06(मु0मं0घो0) / 2010 देहरादून दिनांक 15.10.2010 द्वारा स्वीकृत है। इस मार्ग को प्रा0ख0पी0डब्लू0डी0, के द्वारा निर्माण किया जाना है। इस मोटर मार्ग के निर्माण में 3.870 है0 वन भूमि हेतु नियमानुसार वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव नोडल अधिकारी देहरादून कार्यालय में विचाराधीन है। वन भूमि की आवश्यकता को न्यूनतम रखने के उद्देश्य से 5.130 है0 इस प्रस्ताव में नाप भूमि हैं। ग्राम सभा भण्डारी गांव की कुल 1260 जनसंख्या के अर्न्तगत खातेदार कास्तकारों से निम्नानुसार भूमि देना प्रस्तावित है।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित नाप भूमि को सम्बन्धित कास्तकारों से नियमानुसार सहमति से अथवा अर्जित कर प्रयोक्ता एजेन्सी को स–समय उपलब्ध करा दी जायेगी एंव प्रश्नगत मोटर मार्ग का निर्माण बाधित नहीं होगा।

पूरा पता–
जिलाधिकारी कार्यालय,
कलेक्ट्रेड रोड़, टकाना,
जिला–पिथौरागढ़
फोन नं0–05964 228050
ई–मेल– dm-pit-ua@nic.in

हस्ताक्षर
जिलाधिकारी
पिथौरागढ़
श्री एच0सी0 सेमवाल
जिलाधिकारी
पिथौरागढ़
(शासकीय मोहर)

1·6(A)

Form – 1

(FOR Linear Project)

government of Uttarakhand

Office of the district collecter Pithoragarh

No….. Date-

TO WHOME SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of environment and forest (MoEF) Government of India letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled tTribes and oter traditional forest dwellers (recognition of forest rights) act 2006 (RA, for shor) o the dfoest land proposed to diverted to non forest purposes read with MoED's letter dated 5th February 2013 wherein MoEf issued certain relaxation in respect of linear projects it is certified that ….3.070…… hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Public Work Department, Govt of UK for construction of motor road From Bhandari-gaun..Rajawar..Bokta..Dhurali motor road in pithoragarh district falls within jurisdiction of ……………Bhandarigaun..Rajawar…. village in Pithoragarh/Didihat tahshil.

It is further certified that

(a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out of the entire ..3.070…………… hectares of forest area proposed for divertion a copy of record of all consultations and meeting of the forest rights committee (s) Gram Sabha (s) and sub divisionlevel committee(s) and the district level committee are enclosed as annexure………to…..annexure……….

(b) The diversion of forest landfor facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have have been completed and the Gram Sabha have given thir consent to it……….

(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre agricultural communities.

Encl: As above.

Dared.

Signature

District Collector / जिलाधिकारी

Pithoragarh / पिथौरागढ़

डी० एम० भण्डारी
सिन्ही पटवारी गुनानी
उप तहसील बेवलपट्ट

तहसीलदार,
डीडीहाट

1.6(B)

प्रपत्र–23.4

परियोजना का नाम :– भण्डारीगांव रजवार बोक्टा धुराली मोटर मार्ग का नव निर्माण।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत प्रस्तावित भण्डारीगांव रजवार बोक्टा धुराली मोटर मार्ग का नव निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 3.870 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11–9/98–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा–सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agriculural Tribal Groups) प्रभावित नही हो रहे हैं।

ह0/–
जिलाधिकारी
जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

डी0 एस0 भण्डारी
प्रभारी पटवारी पुभानी
उप तहसील देवलथल

तहसीलदार,
डीडीहाट

प्रपत्र - 26 -

2.28

भूगर्भीय निरीक्षण आख्या

भूगर्भीय निरीक्षण आख्या जी0 एस0 –
5 / सड़क सरेखण / पिथौरागढ़ / 2011

जनपद पिथौरागढ़ में राज्य योजना के अन्तर्गत
भण्डारीगॉव–रजवार–बोक्टा–धुराली मोटर
मार्ग, लम्बाई 10 किमी0, सड़क सरेखण
की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या

... किमी0, सड़क सरेखण की भूगर्भीय निरी...

का भूगर्भीय निरीक्षण आख्या

1— प्रस्तावना: प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़ को उक्त मार्ग का निर्माण करना राज्य योजना के अन्तर्गत् स्वीकृत हुआ है । अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़ के अनुरोध पर स्थल का निरीक्षण 27.02.2011 को श्री उदय राम, सहायक अभियन्ता एवं श्री के. एस. गडिया, कनिष्ठ अभियन्ता की उपस्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया । प्रस्तावित सरेखण का अध्ययन भूगर्भीय स्थिति, आकृति एवं पर्यावरणीय पारिस्थितिकी के अध्ययन हेतु किया गया, ताकि सड़क निर्माण हेतु आवश्यक सुझाव दिया जा सके।

2— स्थिति: यह सड़क सरेखण सातसिलिंग थल मोटर मार्ग के किमी0 45 मोनापानी से प्रारम्भ होकर भण्डारीगॉव रजवार होते हूए ग्राम बोक्टा तक तक जाती है।

3— भूगर्भीय स्थिति: यह सड़क सरेखण भीतरी लेसर हिमालय के अन्तर्गत् पिथौरागढ़ जनपद में प्रस्तावित है। इस सरेखण का अधिकतम् भाग बेरीनाग शैल समूह के क्वार्ट्जाइट, एम्फिबोलाइट, बायोटाइट एवं सेरिसाइट शिष्ट चट्टानों से होकर गुजरता है। क्वार्ट्जाइट में मुख्य रूप से 4 संधि समुच्चय मिलते है। इन चट्टानों में किया गया अध्ययन इस प्रकार है ।

1.	110–290 / उत्तर उत्तर पूर्व / 30^0	नति
2.	110–290 / उत्तर उत्तर पूर्व / 25^0	नति
3.	135–315 / पूर्वोत्त्र / 20^0	नति
4.	150–330 / पूर्व उत्तर पूर्व / 30^0	नति
5.	20–200 / पूर्व दक्षिण पूर्व / 16^0	नति
6.	10–190 / पूर्व दक्षिण पूर्व / 26^0	नति
7.	17–197 / पूर्व दक्षिण पूर्व / 68^0	ज्वाइन्ट
8.	170–350 / पूर्व उत्तर पूर्व / 56^0	ज्वाइन्ट
9.	20–200 / पश्चिम उत्तर पश्चिम / 69^0	ज्वाइन्ट
10.	180–360 / पूर्व / 82^0	ज्वाइन्ट
11.	135–315 / दक्षिण पश्चिम / 30^0	ज्वाइन्ट
12.	135–315 / उत्तर पूर्व / 60^0	ज्वाइन्ट

इस सरेखण में भूगर्भीय विवर्तनिक कम निम्नवत है ।

मिट्टी की परत
सेरिसाइइट एवं बायोटाइट शिष्ट
शिष्टोज एम्फिबोलाइट
सेरिसाइट एवं बायोटाइट शिष्ट
सेरिसाइइटिक क्वार्ट्जाइट
क्लोराइट शिष्ट एवं एम्फिबोलाइट शिष्ट
सेरिसाइइटिक क्वार्ट्जाइट

4– स्थल वर्णन: प्रस्तावित मोटर मार्ग सातसिलिंग थल मोटर मार्ग के किमी0 45 मोनापानी से प्रारम्भ होकर भण्डारीगॉव रजवार होते हूए ग्राम बोक्टा तक तक जाती है। इस सड़क सरेखण में पहाड़ का ढलान सामान्य से मध्यम तथा कहीं – कहीं पर तीक्ष्ण है। प्रस्तावित सड़क में बेरीनाग शैल समूह के सेरिसाइइट एवं बायोटाइट शिष्ट, शिष्टोज एम्फिबोलाइट तथा सेरिसाइटिक क्वार्ट्जाइट शैल पड़ते हैं। लेकिन सड़क का अधिकतम् भाग सेरिसाइइटिक क्वार्ट्जाइट से होकर गुजरता है। सेरिसाइइट एवं बायोटाइट शिष्ट के बीच–बीच में शिष्टोज एम्फिबोलाइट अंतरासंस्तरित है तथा सेरिसाइटिक क्वार्ट्जाइट के बीच–बीच में क्लोराइट शिष्ट एवं एम्फिबोलाइट शिष्ट अंतरासंस्तरित है। स्थूल कणित क्वार्ट्जाइट में कई स्थानों पर तिर्यक संस्तरण विद्यमान है तथा सूक्ष्म कणित क्वार्ट्जाइट में सेरिसाइट एवं अभ्रक की अधिकता से थिस्टाभता भी परिलक्षित होती है। इस मार्ग में 04 एच0 पी0 बैंड प्रस्तावित हैं। इस मार्ग में कई सूखे/बरसाती नालें हैं। इसमें नाप भूमि तथा वन भूमि दोनों पड़ती है। इस सरेखण में जंगली वृक्ष भी हैं।

5– स्थाईत्व का विचार: इस सरेखण की स्थल–संरचना व बनावट, स्थल वर्णन, भूगर्भीय, भूकम्पीय एवं पर्यावरणीय आदि परिस्थितियों को देखते हुए इस भाग में मार्ग निर्माण हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार करना आवश्यक है ।

1) यह सरेखण लेसर हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में है।

(2) भूकम्पीय दृष्टि से यह भू–भाग जोन **V** में है।

(3) इसमें कई सूखे नाले हैं।

(4) सरेखण में 04 एच0 पी0 बैंड प्रस्तावित हैं।

(5) इसमें कुछ ग्राम आते हैं।

(6) सरेखण चट्टानी भाग से होकर गुजरता है ।

(7) सरेखण वन भूमि एवं कृषि भूमि दोनो से होकर गुजरता है ।

(8) सरेखण का अधिकतम ग्रेडिएन्ट 1:20 है ।

(9) सरेखण सामान्य से मध्यम् तथा कहीं–कहीं उच्च पहाड़ी ढलान पर प्रस्तावित है।

(10) सड़क निर्माण के समय पर्यावरण पर ध्यान देना होगा।

6– सुझावः इस सरेखण की स्थल संरचना व बनावट, स्थल वर्णन, स्थाईत्व का विचार, भूगर्भीय, भूकम्पीय एवं पर्यावरणीय आदि परिस्थितियों को देखते हुए इस भू–भाग में मार्ग निर्माण हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए जाते है ।

(1) सूखे नालों पर स्कपर / डबल स्कपर / कल्वर्ट / काजवे / पुल का निर्माण किया जाए।

(2) पहाड़ी की ओर नाली का निर्माण किया जाय।

(3) मलवा स्खलन / पात एवं गॅाव वाले भाग में ब्रेस्ट / रिटेनिंग वाल का आवश्यकतानुसार निर्माण किया जाय।

(4) मोटर मार्ग के निर्माण के समय गॅाव वाले भाग में विस्फोटक सामग्री का उपयोग न किया जाय।

(5) मोटर मार्ग के निर्माण के समय भूकम्पीय मानकों का अनुपालन किया जाय।

(6) पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए मार्ग का निर्माण किया जाय।

(7) पर्वतीय क्षेत्रों में बनने वाले मार्गों के मानकों के अनुरूप उपाय किए जाय।

(8) निर्माण के समय कृषि भूमि के ऊपरी मिट्‌टी की परत को बरबादी से रोका जाय।

(9) मिट्‌टी / मलवा वाले भाग में मार्ग के वाहय भाग को उचा रखा जाय ताकि वर्षा के दिनों में पानी मार्ग को पार कर न बहे जिससे मार्ग यथावत बना रहे।

(10) इस सरेखण में सड़क निर्माण के पश्चात् कहीं–कहीं पर भू–स्खलन की सम्भावनाएं हैं इसलिए सड़क निर्माण के समय पहाडी को अधिक काटकर सड़क बनाने के बजाय स्टोन वाल की सहायता से सड़क का निर्माण उचित होगा।

(11) अन्य आवश्यक उपाय जो मार्ग निर्माण में आवश्यक हो किए जाय।

7– निष्कर्षः उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित मोटर मार्ग का निर्माण करना उपयुक्त प्रतीत होता है।

टिप्पणीः उपरोक्त मार्ग के सरेखण के निरीक्षण के समय उपस्थित अधिकारियों से विस्तृत में विचार विमर्श किया गया ।

(डा0 आर0 ए0 सिंह)
एसोसिएट प्रोफेसर – भूविज्ञान
एल0 एस0 एम0 रा0 स्ना0 म0 विद्यालय
पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड

Dr. R. A. Singh
Associate Professor (Geology)
L.S.M. Govt. P.G. College
Pithoragarh, U.K., India

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 पिथौरागढ़

प्रपत्र–29

परियोजना का नामः– भण्डारीगांव रजवार बोक्टा धुराली मोटर मार्ग का नव निर्माण।

मानक शर्तों का मान्य होने का प्रमाण–पत्र

मानक शर्तें

1. वन भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसकी वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा व अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।
3. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
4. वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि आवेदित भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. प्रयोक्ता एजेन्सी, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
6. परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित भूमि का सीमांकन प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख–रेख में किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारों का रख–रखाव किया जायेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर प्रयोक्ता एजेन्सी को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्दादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य करणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वछन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरीयों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा अन्य विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः किसी प्रतिकर के भुगतान किये बिना वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता प्रयोक्ता एजेन्सी न होने पर हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर संरेखण तय करते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो0 नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, ला0 नि0वि0 को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10–2–82 में निहित आदेशों का पालन भी लो0 नि0वि0 द्वारा किया जायेगा। वन भूमि पर अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण कार्य करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य है।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान बाजार दर के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा।

14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग किया जायेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण सम्बन्धित वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।

15. वन भूमि पर प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाईन के कोरिडोर के नीचे यथासम्भव पेड़ों का पातन नहीं किया जायेगा व पारेषण लाईन के खम्भों को ऊँचा कर अधिक से अधिक संख्या में पेड़ों को बचाया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का पातन अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी।

16. यदि नहर आदि निर्माण में भू–संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त कार्य को स्वयं के व्यय से करायेगा।

17. उपरोक्त मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं, तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तों का पूरा अनुपालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया गया हो अथवा सक्षम स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य है।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़।

प्रपत्र–27

परियोजना का नामः– भण्डारीगांव रजवार बोक्टा धुराली मोटर मार्ग का नव निर्माण।

भू–वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़।

2.32

प्रपत्र–30

परियोजना का नामः– भण्डारीगांव रजवार बोक्टा धुराली मोटर मार्ग का नव निर्माण।

धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नही है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नही की गई है।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़।

ह0/–
जिलाधिकारी
जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

[illegible]

तहसीलदार,
डीडीहाट

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग

33	FP/UK/ROAD/8887/2014 Bhandari-Rajwar-Wokta-Dhurali Motar Road	ROAD88872014467	6188870467	30 Mar 2015	**CA:** 1106820/- , **PCA:** 0/- , **Safety Zone:** 0/- , **NPV:** 3471390/- , **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 6578210/- **Addl CA :** 2000000/- **CAT :** 0/- **Addl PA :** 0/- **Other Charges :** 0/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** :29 Apr 2025 **Bank Name** :Union Bank of India **Mode of Payment** :NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : **Transaction Date** :08 May 2015	Demand Letter

16	FP/UK/ROAD/8887/2014 Bhandari-Rajwar-Wokta-Dhurali Motar Road	ROAD88872014146	6188870146	30 Mar 2015	**CA:** 0/- , **PCA:** 0/- , **Safety Zone:** 0/- , **NPV:** 1839836.7/- , **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 1839836.7/-	**Addl CA :** 0/- **CAT :** 0/- **Addl PA :** 0/- **Other Charges :** 0/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** :26 Nov 2022 **Bank Name** :Union Bank Of India **Mode of Payment** :Union Bank Of India (Challan) **Challan Generated On** :21 Feb 2024 **Transaction Date** :26 Feb 2024	Demand Letter